अधिसूचना सं. 10 [एफ.सं. 178/63/2009-आईटी(ए-आई)], दिनांक 19-2-2010

जबकि केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 51(ई), दिनांक 8 जनवरी, 2008 के माध्यम से औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना तैयार और अधिसूचित की है और संख्या एस.ओ. 1605(ई), दिनांक 2 जुलाई, 2008 के माध्यम से संशोधित की है;

और चूंकि मेसर्स कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता द्वितीय तल, सिटी पॉइंट, बोट क्लब रोड, पुणे-411001 है, ने सर्वे संख्या 198/1B, लोहगांव, पुणे, तालुका हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र [(प्रोजेक्ट गीगा स्पेस), (बिल्डिंग अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1, बीटा-2, गामा और डेल्टा-2)] में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया है;

अब इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का आयकर नियम, 1962 के नियम 18ग के साथ पठित प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा मेसर्स कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड, पुणे को एक उपक्रम के रूप में और सर्वे संख्या 198/1B, लोहगांव, पुणे, तालुका हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र [(प्रोजेक्ट गीगा स्पेस), (बिल्डिंग अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1, बीटा-2, गामा और डेल्टा-2)] में परियोजना को, जो उक्त उपक्रम द्वारा विकसित और संचालित और परिचालित की जा रही है, उक्त खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन एक औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुलग्नक

मेसर्स कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड, पुणे द्वारा औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए *भारत सरकार की अनुमति प्रदान करने के नियम और शर्तें।*

1.	(*i*)	औद्योगिक उपक्रम का नाम,	:	कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड
	(*ii*)	स्थान	:	सर्वे सं. 198/1ख, लोहगांव, पुणे, तालुका हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र [(प्रोजेक्ट गीगा स्पेस), (बिल्डिंग अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1, बीटा-2, गामा और डेल्टा-2)]
	(*iii*)	न्यूनतम निर्मित फ्लोर क्षेत्र :	:	15,000 वर्ग मीटर
	(*iv*)	प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियां :	:	औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में परिभाषित अनुसार
	(*v*)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आवंटन योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	:	75% या उससे अधिक
	(*vi*)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित आवंटन योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	:	10% या उससे कम
	(*vii*)	औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या	:	30 इकाइयां
	(*viii*)	औद्योगिक पार्क के प्रारंभ की तिथि	:	9-5-2007

2.औद्योगिक पार्क को स्थानीय प्राधिकरण से प्रारंभ प्रमाण पत्र की तिथि, जो 9-5-2007 है, को विकसित हुआ माना जाएगा।

3.औद्योगिक पार्क केवल एक उपक्रम के स्वामित्व में होना चाहिए।

4.अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ उपक्रम को केवल तभी उपलब्ध होंगे जब औद्योगिक पार्क में न्यूनतम तीस इकाइयां स्थित हों। औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की सभी इकाइयों और उसके सहयोगी उद्यमों को एक इकाई माना जाएगा।

5.कोई भी औद्योगिक इकाई, सहयोगी उद्यम की इकाइयों के साथ मिलकर, आवंटनीय क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत से अधिक पर कब्जा नहीं करेगी।

6.अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ केवल इस अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित उपक्रम को उपलब्ध होंगे और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जो बाद में किसी भी कारण से अधिसूचित औद्योगिक पार्क का विकास, विकास और संचालन या रखरखाव और संचालन करता है।

7.औद्योगिक इकाइयां केवल उन गतिविधियों को करेंगी जो औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में निर्दिष्ट हैं।

8.उपक्रम को औद्योगिक पार्क के लिए अलग खाता बही रखनी चाहिए और आयकर विभाग को निर्धारित तिथि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

9.अधिसूचना अमान्य होगी और मेसर्स कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड ऐसी अमान्यता के किसी भी परिणाम के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा, यदि:

(*i*) इसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन और बाद के दस्तावेज, जिनके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, में गलत जानकारी/गलत सूचना है या उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

(*ii*) यह औद्योगिक पार्क के उस स्थान के लिए है जिसके लिए पहले से ही किसी अन्य उपक्रम के नाम से अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

10.यह उपक्रम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रपत्र आईपीएस-II में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

11.इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में शामिल शर्तों का उस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए जिसके लिए इस योजना के अंतर्गत लाभ लिए जाएंगे। यदि उपक्रम किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो केंद्र सरकार उपरोक्त अनुमोदन वापस ले सकती है।

12.केंद्र सरकार की अनुमति के बिना परियोजना योजना का कोई भी संशोधन या भविष्य में पता चलना, या आवेदक की ओर से किसी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करने में असफलता, औद्योगिक पार्क की अनुमति को अमान्य कर देगी।

■■